संख्या : ०७-दो(6)/XXXVI(2)/2013-09-दो(6)/2003

प्रेषक,

जयदेव सिंह,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
ओबराय बिल्डिंग, उत्तराखण्ड,
माजरा, देहरादून।

न्याय अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक: 31 अक्टूबर, 2013

विषय: राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित धनराशि की प्रतिपूर्ति (Recoupment) किया जाना।

महोदय,

शासनादेश संख्या-02-दो(6)/XXXVI(2)/2013-09-दो(6)/2003, दिनांक: 22.05.2013 के द्वारा महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड के उपयोगार्थ वाहन की नितान्त आवश्यकता के दृष्टिगत एक नयी इनोवा कार क्रय करने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य आकस्मिकता निधि से ₹ 15,00,000/- (₹ पन्द्रह लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति (Recoupment) हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से बजट व्यवस्था करा दी गयी है।

2- अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त धनराशि ₹ 15,00,000/- (₹ पन्द्रह लाख मात्र) की प्रतिपूर्ति (Recoupment) अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)- 03-महाधिवक्ता" से करते हुए अभिलेखों में तद्नुसार पुस्तांकित करवाने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जयदेव सिंह)
प्रमुख सचिव ।

संख्या- ०७ -दो(6)/XXXVI(2)/2013-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
3. एन०आई०सी०/गार्ड फाईल ।

(मनीष मिश्र)
अपर सचिव ।